

#1296

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौड़गाढ़ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - रूपाखरी.....

धारा अन्तर्गत - 236

प्र.सं. 1016

दापर दिनांक 09/10/25

निर्णय दिनांक 09/10/25

ग्रामीण सेवा शिविर-2025



क्र.सं.	नाम - ग्राम	स्थान	रिपोर्ट	कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	रूपाखरी	नरन	<p>महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>—वर्तमान प्रविष्टि— स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर</p> <p>शुद्ध प्रविष्टि— स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया</p>	<p>कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश</p> <p>तहसीलदार कपासन की अनुशंसा स्वीकार की जाकर राज. भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>रूपाखरी</u> प.ह. <u>रूपाखरी</u> खातासं. <u>नरन</u> में वर्तमान प्रविष्ट स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p> <p>पदेन सहायक कलक्टर कपासन</p>

प्रतिलिपि पालनार्थ:- पटवार भांडल कपासनेरी, पटवार भांडल जिला चितौड़गाढ़

1. पटवारी पटवार भांडल को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करें।

तहसीलदार (पु.आ.)

तहसीलदार कपासन

तहसीलदार (पु.आ.)

तहसील कपासन जिला-चितौड़गाढ़

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) कपासन जिला-चितौड़गाढ़